ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन के निर्देशों का अत्यंत सावधानीपूर्वक अध्ययन कर व उन्हें भली–भांति समझने के पश्चात आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का प्रिंट निकालकर आवश्यक जानकारियों की प्रविष्टि कर सत्यापन के समय प्रस्तुत करें।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर – 19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
फोन नं. –0771–2439562, 2446556 (फैक्स), वेबसाइट–www.psc.cg.gov.in

प्रावधिक–पत्र
विज्ञापन की शर्तो के अधीन

क्रमांक 506 /15/चयन/2026 नवा रायपुर दिनांक 06 NOV 2026

//दस्तावेज सत्यापन बुलावा पत्र//

माइक्रो बायोलॉजिस्ट (खाद्य प्रयोगशाला) एवं माइक्रो बायोलॉजिस्ट (औषधि प्रयोगशाला)
(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

महोदय/महोदया,

माइक्रो बायोलॉजिस्ट (खाद्य प्रयोगशाला) एवं माइक्रो बायोलॉजिस्ट (औषधि प्रयोगशाला) (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) पद के दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित समय–सारणी के अनुरूप प्रथम पाली पूर्वान्ह 10:00 बजे एवं द्वितीय पाली अपरान्ह् 02.00 बजे किया जायेगा। दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित एवं अनर्ह पाये जाने पर उक्त अभ्यर्थियों को आगामी भर्ती संबंधी प्रक्रिया में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2. दस्तावेज सत्यापन के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि/समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नीचे लिखे निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें एवं आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थिति देंवें।

2.1 सफलतापूर्वक ऑनलॉइन दस्तावेज सत्यापन बुलावा पत्र एवं संलग्न चार दस्तावेज (1) जानकारी पत्रक (01 प्रति में), (2) अनुप्रमाणन–पत्र (02 प्रति में) **(दोनों प्रतियों को राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराना अनिवार्य है।)** (3) उपस्थिति पत्रक (01 प्रति में) तथा (4) व्यक्तिगत विवरण (06 प्रतियों में) डाऊनलोड कर आवश्यक प्रविष्टियां कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुप्रमाणन पत्र एवं जानकारी पत्रक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं तथा इसमें त्रुटिपूर्ण/गलत जानकारी दिये जाने पर आपकी उम्मीद्वारी निरस्त की जा सकती है।

2.2 अनुप्रमाणन पत्रक के पहचान प्रमाण पत्र कॉलम में किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन (दोनों प्रतियों में) कराया जाना अनिवार्य है। **(अनुप्रमाणन पत्रक की छायाप्रति स्वीकार नहीं किया जायेगा)** अतः राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन कराकर ही अनुप्रमाणन पत्रक की हार्डकॉपी दो मूल प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।

2.3 **माइक्रो बायोलॉजिस्ट (खाद्य प्रयोगशाला) एवं माइक्रो बायोलॉजिस्ट (औषधि प्रयोगशाला) (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)** पदों के लिए आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन क्रमांक 05/2026/परीक्षा/दिनांक 08/09/2026 के रोजगार नियोजन में प्रकाशन की तिथि 09/09/2026 के अनुसार **अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता– विज्ञापन में उल्लेखित कंडिका (2) अनुसार होना अनिवार्य है। यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंकसूची (सभी वर्षो के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) दस्तावेज आयोग द्वारा समय–समय पर जारी शुद्धि पत्र एवं सूचना पत्रों में दर्शित अंतिम तिथि तक का मान्य होगा। उक्त तिथि के बाद के अंकसूची/उपाधि/प्रमाण पत्र/नवीन प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगें। इस संबंध में अंकसूची/उपाधि/अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा एक–एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।**

7/11/26

2.4 यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय/मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित (आयु/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन किया हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। ऐसे अभ्यर्थी जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत मान्य किये जाने हेतु साक्षात्कार के अंतिम तिथि से पिछले 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2.5 यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर शासकीय/निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं तो नियोक्ता/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

2.6 यदि आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने के पश्चात् आपके उपनाम में परिवर्तन हुआ हो तो उपनाम परिवर्तन का शपथपत्र की एक–एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

2.7 जन्म तिथि के प्रमाण के संबंध में हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा से संबंधित मूल प्रति एवं एक–एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।

2.8 यदि आप निःशक्तजन हैं तो शारीरिक विकलांगता 40 प्रतिशत् या उससे अधिक हो तो चिकित्सा मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं एक–एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति। छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी निःशक्तजन ही मान्य होंगे।

2.9 यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं तथा आपने विज्ञापन में दर्शित अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट क्लेम किया है तो छूट क्लेम किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं एक–एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।

2.10 आपके द्वारा **माइक्रो बायोलॉजिस्ट (खाद्य प्रयोगशाला) एवं माइक्रो बायोलॉजिस्ट (औषधि प्रयोगशाला) (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)** पद के लिए ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र की हॉर्ड कॉपी (प्रिंटआऊट) की प्रति के साथ–साथ पहचान–पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड या पेन कार्ड इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र की मूल प्रति एवं एक–एक छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3. **यदि आप उपरोक्तानुसार जानकारी (जो लागू होता हैं) के साथ उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको दस्तावेज सत्यापन से वंचित किया जा सकेगा तथा आप उक्त पद हेतु वास्तव में सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति करते हैं अथवा नहीं, के निर्धारण करने का अधिकार आयोग का होगा एवं इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।**

4. विज्ञापन के अनुसार निर्धारित अर्हता, आयु सीमा छूट क्लेम किया हो तो तत्संबंध में दस्तावेज, आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन हो तो विज्ञापन की कंडिका (4) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अभाव में आपको आगामी भर्ती संबंधी प्रक्रिया के लिए अनर्ह कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

5. शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंक सूची (सभी वर्षो के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) एवं अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं एक–एक प्रति छायाप्रति प्रस्तुत करें।

2/11/26

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को आगामी भर्ती संबंधी प्रक्रिया के लिये अनर्ह माना जायेगा।

7. विज्ञापन की कंडिका 4 के अनुसार आयु की गणना **दिनांक 01/01/2026** के संदर्भ में की जाएगी।

8. सभी दस्तावेजों की मूल प्रति एवं एक–एक छायाप्रति दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है, मूल प्रमाण पत्र के अभाव में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा तथा इस संबंध में अभ्यर्थियों से कोई वचन पत्र/अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5/11/26

परीक्षा नियंत्रक
छ.ग. लोक सेवा आयोग
नवा रायपुर, अटल नगर

यहाँ कम से कम
4.5 X 3.5 से.मी.
आकार का स्वयं
का फोटो चिपकायें
और उस पर अपने
हस्ताक्षर करें।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

रायपुर – 492001

उपस्थिति-पत्रक

(आवेदक द्वारा भरा जाए)

विज्ञापन क्रमांक पद क्रमांक

पद का नाम

रोल नंबर पंजीयन क्रमांक

आवेदक का नाम

पता

.....

(साक्षात्कार के समय उपयोग हेतु)

साक्षात्कार दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर – (हिन्दी में)

(अंग्रेजी में)

प्रभारी लिपिक के हस्ताक्षर तथा सील

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

जानकारी पत्रक

पंजीयन क्रमांक	
रोल नंबर	
साक्षात्कार की तिथि	

(आवेदक स्वयं ही कृपया बॉल पाइन्ट पेन से भरे)

यहाँ कम से कम 4.5 X 3.5 से.मी. आकार का स्वयं का फोटो चिपकायें और उस पर अपने हस्ताक्षर करें।

1. विज्ञापन क्रमांक
2. आवेदित पद का नाम
3. विभाग का नाम
4. आवेदक का नाम
 हिन्दी में
 अंग्रेजी में
5. पिता/पति का नाम
6. जन्म दिनांक (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर) दिनांक माह वर्ष
 शब्दों में
7. दिनांक 01.01..... को आयु वर्ष माह दिन
8. जन्म स्थान, शहर/तहसील/जिला/राज्य
9. यदि आवेदक छ.ग. का निवासी है तो कितने वर्षों से निवास कर रहा है।
10. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति/जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अतंर्गत आवेदन दिया है। यदि हाँ तो जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का नाम लिखे तथा सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा निर्धारित प्रारुप में जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
11. आवेदक का –
 (अ) वर्तमान डाक पता

 पिनकोड
 (ब) स्थायी पता

 पिनकोड

12. शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं का विवरण–(प्रमाण–पत्रों/अंक सूचियों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)

परीक्षा का स्तर	बोर्ड/वि.वि. का नाम	अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष/दिनांक	श्रेणी/प्राप्तांक	प्रतिशत	परीक्षा के विषय	शैक्षणिक संस्था का नाम
हाईस्कूल/मेट्रिक्युलेशन						
इंटर मीडिएट हायर सेकेण्डरी						
स्नातक						
स्नातकोत्तर						
अन्य						

13. यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा अशासकीय पद पर सेवारत हैं या पहले सेवारत रहे हों तो आवेदन करने की तारीख तक धारित सभी पदों का पूर्ण विवरण दें।

पद का नाम	कार्यालय/संस्था/फर्म आदि का नाम व पता	नियुक्ति		कुल मासिक वेतन महंगाई भत्ते सहित
		कब से	कब तक	

14. यदि आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो छूट का आधार तथा विज्ञापन की संदर्भित कंडिका का उल्लेख करें

15. (1) क्या आप भारत के नागरिक हैं ? (1).....

(2) यदि आप भारत के नागरिक नहीं है तो क्या आपने भारत सरकार से पात्रता का घोषणा पत्र प्राप्त किया ? (2).....

16. (अ) क्या आप विवाहित हैं ?

(ब) यदि हां तो क्या आपकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं ? पति हैं ?

(स) क्या आप ग्रीनकार्ड धारी है ?

17. किसी नियोजित खेलकुद में क्या आपने राज्य, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है, यदि हाँ तो विवरण दें तथा प्रमाण–पत्र संलग्न करें.

राज्य/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम

18. राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी) में भाग लिया हो तो उसका विवरण दें उत्तीर्ण किए गए प्रमाण–पत्र तथा पद का उल्लेख करें तथा प्रमाण–पत्र संलग्न करें.

.....

19. क्या आपको कभी शासकीय या अन्य सेवा से बर्खास्त किया गया, हटाया गया या किसी न्यायालय द्वारा अभियोजित (दंडित) किया गया है, या आपके विरुद्ध विभागीय जांच लंबित है, यदि हां तो विवरण दें.

.....

20. आपको संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा/चयन से वंचित किया गया हो तो विवरण दें.

.....

21. क्या आप विज्ञापन में विहित अनुभव रखते हैं, यदि हां तो सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र संलग्न करें.

.....

.....

22. आप अपने संबंध में यदि कोई विशेष जानकारी जो आपके चयन में सहायक हो, देना चाहें तो संक्षेप में अंकित करें.

.....

.....

घोषणा

मै एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि जहां तक मेरा ज्ञान और विश्वास है. इस जानकारी पत्रक में मेरे द्वारा दी गई सभी प्रविष्टियां सही है.

उम्मीदवार के हस्ताक्षर.....

तारीख

स्थान

I

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

प्रपत्र–पत्र.4.....

अनुप्रमाणन–फार्म

रोल नं.

(2 प्रतियों में)

"चेतावनी"

1. अनुप्रमाणन–फार्म में असत्य जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना अनर्हता मानी जाएगी और ऐसा करने से उम्मीदवार शासन के अधीन नियोजन के लिए अनुपयुक्त ठहराया जा सकेगा, किसी भी प्रविष्टि को खाली न छोड़े, यदि वह आप पर लागू न हो तो वैसा स्पष्टतः अंकित करें।

2. यदि इस फार्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदवार को नजरबंद या गिरफ्तार किया जाता है अथवा उस पर मुकदमा चलाया जाता है या उसे बन्दी बनाया जाता है अथवा उस पर जुर्माना किया जाता है या उसे दोष सिद्ध पाया जाता है अथवा उसे विवर्जित किया जाता है या दोषमुक्त आदि किया जाता है तो ब्यौरे, यथास्थिति, राज्य लोक सेवा आयोग या उस प्राधिकारी को, जिसे अनुप्रमाणन–फार्म पहले भेजा गया हो, तत्काल सूचित किये जाने चाहिए, अन्यथा यह माना जाएगा कि तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, अतः यह स्वयं उम्मीदवार के हित में होगा कि वह उन मामलों के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करें, जिनमें उसे गिरफ्तार किया गया था, उस पर अभियोजन चलाया गया था आदि भले ही मामले अंतिम रूप में प्रतिवेदित कर दिये गये हों (खात्मा) वापस लिये गये हों या उनमें अन्ततः दोष–मुक्ति हो गई हो या समझौते कर लिया गया हो।

3. यदि यह तथ्य कि अनुप्रमाणन–फार्म में असत्य जानकारी दी गई है या यह कि कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, किसी भी व्यक्ति को सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आये तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

1.	पूरा नाम–(स्पष्ट अक्षरों में) तथा, उपनाम यदि कोई हो– (यदि आपने किसी भी अवस्था मे अपने नाम या कुलनाम में कुछ जोड़ा हो या हटाया हो तो कृपया उसका उल्लेख कीजिए)	कुल नाम (सरनेम) नाम
2.	वर्तमान पूरा नाम–(अर्थात् ग्राम, थाना तथा जिला या घर क्रमांक, गली/मार्ग/सड़क तथा नगर और राज्य जिसमें वह स्थिति हो)	
3. (क)	घर का पूरा पता–(अर्थात् ग्राम, थाना तथा जिला या घर क्रमांक, गली/मार्ग/सड़क तथा नगर और जिला मुख्यालय का नाम और राज्य जिसमें वह स्थित हो)	(क)
(ख)	यदि मूलतः पाकिस्तान के निवासी हों तो उस देश में आपका पता था भारतीय संघ में प्रवजन की तारीख	(ख)

4. निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे, जहां आप पिछले पांच वर्षों के दौरान एक वर्ष से अधिक समय तक रहें हो, यदि विदेश (जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है) में रहे हों तो उन सभी स्थानों के ब्यौरे दिये जाने चाहिए जहां आप 21 वर्ष की आयु के बाद एक वर्ष से अधिक समय तक रहें हो :

से	तक	निवास का पूरा पता (अर्थात ग्राम, थाना, जिला अथवा घर क्रमांक, गली/मार्ग सड़क तथा नगर)	पूर्ववर्ती खाने में उल्लिखित स्थान के जिला मुख्यालय का नाम तथा वह राज्य जिसमें व स्थित हो
(1)	(2)	(3)	(4)

5. पिता का–

(क)	पूरा नाम तथा उपनाम यदि कोई हो	(क)
(ख)	वर्तमान डाक–पता (यदि स्वर्गवास हो गया हो तो पिछता पता पिछला पता दीजिए)	(ख)
(ग)	घर का स्थाई पता	(ग)
(घ)	व्यवसाय	(घ)
(ड.)	यदि किसी सेवा में हो तो उनका पदनाम तथा कार्यालय का पता दीजिए	(ड.)

6. (एक) नीचे उल्लिखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता –

(क)	पिता	(क)
(ख)	माता	(ख)
(ग)	पति/पत्नि	(ग)
(घ)	उम्मीदवार	
(दो)	पति/पत्नि का जन्म स्थान	(दो)

7.

(क)	जन्म तारीख	(क)
(ख)	वर्तमान आयु	(ख)
(ग)	मेट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु	(ग)

8.

(क)	जन्म स्थान, जिला तथा राज्य जिसमें वह स्थित हो
(ख)	वह जिला तथा राज्य जहां के आप निवासी हों

9.

(क)	आपका धर्म	(क)
(ख)	क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य है ? "हाँ या नहीं" में उत्तर दीजिए और यदि आपका उत्तर हां में हो, तो उस जाति विशेष का नाम लिखिए.	(ख)

10. शैक्षणिक अर्हताएँ–वर्ष सहित उन स्थानों के नाम दीजिए जहां आपने शालाओं और महाविद्यालयों में 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया हो :

शाला/महाविद्यालय का नाम तथा पूरा पता	प्रवेश की तारीख	शाला/महाविद्यालय छोड़ने की तारीख	उत्तीर्ण परीक्षा
(1)	(2)	(3)	(4)

11. यदि आप कभी नियोजित रहें हो तो तत्संबंधी ब्यौरे दीजिए –

घारित पद का नाम या कार्य का स्वरूप (1)	अवधि		कार्यालय फर्म अथवा संस्था का पूरा पता (3)	पिछली सेवा छोड़ने का कारण (4)
	से (2)	तक		

12.	(क)	क्या आप कभी गिरफ्तार किये गये है, क्या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया है, क्या आप कभी निरूद्ध किये गये हैं, या आप से मुचलका लिया गया है। आप पर जुर्माना किया गया है. क्या आप किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैंया आपको किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं/किये जाने वाले चयनों में सम्मिलित होने से वर्जित किया गया है उसके लिए अनर्ह ठहराया गया है या क्या आपको किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिकप्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित किया गया है/निष्कासित किया गया है ?	
	(ख)	क्या इस अनुप्रमाणन–फार्म को भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था में आपके विरूद्ध कोई मामला लंबित है ? यदि (क) अथवा (ख) में पूछे गये प्रश्नों के संबंधमें आपके 'उत्तर' हां में हो तो आपको इस अनुप्रमाणन–फार्म भरते समय मामले, गिरफ्तारी, निरोघ, जुर्माने दोषसिद्धि तथा दण्डादेश आदि के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करना चाहिए तथा इस फार्म को भरते समय न्यायालय/विश्वविद्यालय/शैक्षणिक प्राधिकरण आदि के समक्ष जो मामला लंबित हो उसका स्वरूप बतलाना चाहिए. इस जानकारी के अतिरिक्त जहां लागू हो, वहां निम्नलिखित ब्यौरे भी दिये जाएंगे।	
	(एक)	अपराध/आरोप	(एक)
	(दो)	पुलिस थाने में पंजीयन	(दो)
	(तीन)	यदि न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो तो न्यायालय का नाम	(तीन)
	(चार)	मामले का क्रमांक न्यायालय द्वारा उनका निपटारा किस तारीख को किया गया,	(चार)
	(पांच)	दिया गया दण्ड	(पांच)
	(छः)	क्या दोषमुक्त कर दिया गया ?	(छः)
	(सात)	दोषमुक्ति संदेह के लाभ पर आधारित है या मामला वापिस ले लिया गया था	(सात)
(**टिप्पणी** :–कृपया इस अनुप्रमाणन–फार्म के ऊपर दी गई चेतावनी भी देखें)			

13. आपके मोहल्ले के ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों या दो निर्देशियों (रेफरियों) के नाम, जो आपको जानते हों (1)
(2)

मैं प्रमाणित करता हूं कि पूर्ववर्ती जानकारी, जहां तक मुझे पता है और जहां तक मेरा विश्वास है, सही है, और पूर्ण है, मैं ऐसी किन्हीं भी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूं जिनके कारण शासन के अधीन नियोजन पाने के लिए मेरी उपयुक्तता क्षीण होती हों, मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि उपर्युक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जावे तो नियुक्ति प्राधिकारी को बिना सूचना दिये या बिना कारण बताएं मेरी सेवाएँ समाप्त करने का अधिकार होगा और उसका निर्णय मुझ पर बन्धनकारी होगा

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तारीख.....स्थान.....

पहचान प्रमाण–पत्र

(प्रमाण पत्र पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक के हस्ताक्षर होना चाहिए, इनके अलावा किसी और के हस्ताक्षर मान्य नहीं किये जाएंगे तथा इस संबंध में आगे कोई लिखा पढ़ी नहीं की जायेंगी)

(एक) केन्द्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी, दो संसद या राज्य विधान मंडल का सदस्य, (तीन) सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/अधिकारी, (चार) तहसीलदार या नायब तहसीलदार जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हो, (पांच) शासकीय तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य तथा प्रमुख, (छहः) खंड विकास अधिकारी, (सात) पोस्ट–मास्टर, (आठ) पंचायत निरीक्षक।

प्रमाणित किया जाता है कि मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पति/पति का नाम श्रीको पिछले
वर्ष.....माह से जानता हूँ तथा उनके द्वारा दिये गये ब्यौरे, जहां तक मुझे पता है और जहां तक मेरा विश्वास है, सही हैं।

स्थान
तारीख

हस्ताक्षर
पदनाम तथा स्पष्ट मोहर एवं पता

कार्यालय द्वारा भरा जाएगा

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम, पदनाम और पूरा पता
.....

(दो) वह पद जिसके लिए उम्मीदवार के संबंध में विचार किया जा रहा है।
.....

(आवेदक भरें)

इस प्रति को भरकर उसकी 6 फोटोप्रतियां
कराने के पश्चात् प्रत्येक प्रति पर पृथक हस्ताक्षर करें।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

आवेदक का व्यक्तिगत विवरण

(6 प्रतियों में)

पद का नाम

1. A. रोल नंबर/पंजीयन क्र. B. साक्षात्कार की तिथि	3. मूल निवास स्थान जिला राज्य		
2. A. नाम B. पिता/पति का नाम	4. जन्म तिथि		
5. क्या आप छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति अथवा जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं, यदि हां तो जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का नाम दें.	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग

6. शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं –

परीक्षा स्तर	परीक्षा के विषय	अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष व दिनांक	श्रेणी तथा प्राप्तांक (प्रतिशत)	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	अभ्युक्तियां
उच्चतर माध्यमिक/ इंटर मिडिएट 10+2					
स्नातक					
स्नातकोत्तर					
अन्य					
अन्य					

यदि विश्वविद्यालय में अथवा मंडल में आपने प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया हो तो अभियुक्तियों के तहत जानकारी दें.

(क्रमशः

7. यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा अशासकीय पद पर सेवारत हैं या पहले सेवारत रहें हैं तो आवेदन करने की तारीख तक धारित सभी पदों का पूर्ण विवरण दें,

पद का नाम	नियोजक कार्यालय/ संस्था/फर्म का नाम और पता	नियुक्ति		कुल मासिक वेतन महंगाई भत्ते आदि सहित (रुपयों में)
		कब से	कब तक	

8. क्या आप विज्ञापन के अनुसार आवश्यक अनुभव रखते हैं ? यदि हां तो किस प्रकार ?

.....

9. साक्षात्कार के समय यदि आप अपने संबंध में कोई विशेष जानकारी यथा एन.सी.सी. खेलकूद अथवा अभिरुचियों, प्रकाशनों आदि के संबंध में देना चाहे तो संक्षेप में कृपया अंकित करें.

.....

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

(कार्यालयीन उपयोग हेतु)